(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेय जल परियोजनाओं के लिए धनराशि में वृद्धि करने की मांग

1523. **श्री गोविन्द राव आदिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार पेय जल परियोजनाओं के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने इस धनराशि में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो इस मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाओं के संचलन एवं रखरखाव पर प्रति वर्ष वार्षिक आबंटन का 10% उपयोग कर सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 में मेघालय सरकार ने संचलन और रखरखाव के लिए अनुमेय 10% के मुकाबले 109.25 लाख रुपए (26%) खर्च करने के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव, जिसे मार्च, 93 के अन्त में प्राप्त किया गया था, को स्वीकार नहीं किया गया। उसके पश्चात् राज्य सरकार ने पूर्ण विवरण तथा औचित्य सहित कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है।

बिहार सरकार ने 1993-94 में 20% तक तथा 1994-95 में 25% तक वृद्धि करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को संचलन और रखरखाव के तहत विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 1993-94 के आबंटन का 20% इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। 1994-95 के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह पहले त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10% आबंटन अर्थात् 16.95 करोड़ रुपए को इस्तेमाल करे तथा उसके बाद निष्पादन के अनुसार अधिकतम सीमा को बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

Agricultural land (ceilings on holdings) Act

1524. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Maharashtra regarding relaxation of the provisions of the Agricultural Land (ceilings on Holdings) Act;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government with regard thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) A proposal was received from the Government of Maharashtra which envisaged permitting an individual or a firm, trust, company or cooperative society for the purpose of cultivation of horticulture produce or the Agro-processing unit to hold beyond ceiling limit cultivable land on lease from the farmer's for a period not exceeding 35 years or uncultiveable land viz. wasteland, fallow land, Khajan or Khar land on ownership or on lease from a farmer or both combined.

(c) The State Government has been advised to reconsider their proposal in the light of the Guidelines on Ceiling on Agricultural Holdings drawn up on the basis of the conclusions arrived at in the Chief Ministers' Conference held in July, 1972.